



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 28-अप्र0(2ब)/पाका0लि0/2013-86202

दिनांक: 05 जुलाई, 2013

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यक्षेत्र में एतद्वारा निर्नांकित अधिशासी अभियन्ता (विद्युत एवं यान्त्रिकी) को स्तम्भ संख्या-3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर स्तम्भ संख्या-4 के अनुसार निगम को आवंटित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/ अभि०सं०/गृह जनपद सेवानिवृत्ति का दिनांक	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात आवंटित निगम का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री गजेन्द्र गुप्ता 86202/अलीगढ़ 28-02-2020	अधिशासी अभियन्ता, सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ।	पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- आवंटित अधिकारी की तैनाती शासन की द्विसदस्यीय समिति से वॉकित अनुमोदन प्राप्त कर कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।
- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-6910-गोपन/पाकालि(16)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार उचित गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 28(1) अप्र0(2ब)/पाका0लि0/2013 तददिनांक


प्रतिलिपि निर्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अग्रजपत्रित) के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०द्रा०का०लि०, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिमान्चल, आगरा/मध्यान्चल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमान्चल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केरको, कानपुर।
- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०द्रा०का०लि०।
- मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटराइजेशन इकाई, उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- समस्त संपुष्ठा सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०द्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, कनरा नं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अनु सचिव(गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- सम्बन्धित अधिकारी/पेशक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

सं० 5490/पकेविनिबि क्रि०/ए०.डी०

प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता (पाइप) पकेविनिबि, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,


(सत्यानन्द दीक्षित)
उप सचिव

दि० 06.07.2013





उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 29-अप्र0(2ब)/पा0का0लि0/2013-86178

दिनांक: 05 जुलाई, 2013

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित अधिशासी अभियन्ता (विद्युत एवं यान्त्रिकी) को स्तम्भ संख्या-3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर स्तम्भ संख्या-4 के अनुसार निगम को आवंटित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/ अभि0सं0/गृह जनपद सेवानिवृत्ति का दिनांक	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात आवंटित निगम का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अशोक कुमार जैन 86178/दाराबंकी 31-03-2019	अधिशासी अभियन्ता, सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ।	पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

2- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

3- आवंटित अधिकारी की तैनाती ज्ञासन की द्विसदस्यीय समिति से वॉछित अनुमोदन प्राप्त कर कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।

4- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

5- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यभार की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0-6910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा रवाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 29 (1) अप्र0(2ब)/पा0का0लि0/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल, आगरा/मध्यान्चल, लखनऊ/पूर्वाञ्चल, दाराणसी/पश्चिमान्चल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केरको, कानपुर।
- 3- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0न्समिशन का0लि0।
- 4- मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटराइजेशन इकाई उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 5- समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 7- अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, कमरा नं0-407, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- अनु सचिव(गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

सं० 5491/पवि विनिलि मेरठ/एल-को.

प्रतिलिपि निदेशक (वाणिज्य) पवि विनिलि, मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित अधिकारी की स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यभार को सौंपा सुनिश्चित करें।
दि० 06.07.2013
(सत्यानन्द दीक्षित)
उप सचिव



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 30-अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2013-78031

दिनांक: 05 जुलाई, 2013

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यक्षेत्र में एतद्वारा निम्नांकित अधिशासी अभियन्ता (विद्युत एवं यान्त्रिकी) को स्तम्भ संख्या-3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर स्तम्भ संख्या-4 के अनुसार निगम को आवंटित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/ अभि०सं०/गृह जनपद सेवानिवृत्ति का दिनांक	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात आवंटित निगम का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री सतीश कुमार अग्रवाल 78031/ देहरादून 31-12-2013	अधिशासी अभियन्ता (सं०) विद्युत वितरण मण्डल, गाजियाबाद।	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

- 2- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- 3- आवंटित अधिकारी की तैनाती शासन की द्विसदस्यीय समिति से वॉछित अनुमोदन प्राप्त कर कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।
- 4- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।
- 5- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्टाफ का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 30 (1) अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


- 1- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/सनस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल, आगरा/मध्यान्चल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमान्चल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/कैरको, कानपुर।
- 3- सनस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0न्समिशन का0लि0।
- 4- मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटराइजेशन इकाई, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 5- सनस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 7- अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, कमरा नं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- अनु सचिव(गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित अधिकारी/व्यक्तिगत पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

सं० 5492 / पाकेविकेलेमिग/एफ.को 6

दि० 06.07.2013

प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता, गाजियाबाद/सहारनपुर को इस निदेश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित अधिकारी को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर्ना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,


(सत्यानन्द दीक्षित) 05/07/2013
उप सचिव



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 31-अप्र0(2ब)/पा0का0लि0/2013-86197

दिनांक: 06 जुलाई, 2013

कार्यालय ड्राप

कारपोरेशन कार्यरहित में एतद्वारा निम्नांकित अधिशासी अभियन्ता (विद्युत एवं यान्त्रिकी) को स्तम्भ संख्या-3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर स्तम्भ संख्या-4 के अनुसार निगम को आवण्टित किया जाता है:-

क्र0 सं0	नाम/ अभि0सं0/गृह जनपद सेवानिवृत्ति का दिनांक	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात आवंटित निगम का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री ऋषि कुमार अग्रवाल 86197/आगरा 28-02-2018	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-2, मेरठ।	पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- आवंटित अधिकारी की तैनाती शासन की द्विसदस्यीय समिति से वॉजित अनुमोदन प्राप्त कर कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।
- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्कार्कन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 31 (1) अप्र0(2ब)/पा0का0लि0/2013 तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0द्रा0का0लि0, लखनऊ।
 - प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल, आगरा/मध्यान्चल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/परिचमान्चल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/कंस्ट्रु, कानपुर।
 - समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0द्रा0न्समिशन का0लि0।
 - मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटराइजेशन इकाई, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
 - समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0द्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
 - अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, कमरा नं0-407, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - अनु सचिव(गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - सम्बन्धित अधिकारी/व्यक्तिगत पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

सं0 5493/पबि/की/ली/मि/एस/के दि0 06.07.2013
प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता मेरठ के
को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित
अधिकारी को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त
करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(सत्यानन्द दीक्षित)
उप सचिव



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 33-अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2013-96003

दिनांक: 05 जुलाई, 2013

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्द्वारा निर्माकित अधिशासी अभियन्ता (विद्युत एवं यान्त्रिकी) को स्तम्भ संख्या-3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर स्तम्भ संख्या-4 के अनुसार निगम को आवंटित किया जाता है-

क्र० सं०	नाम/ अभि०सं०/गृह जनपद सेवानिपुति का दिनांक	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात आवंटित निगम का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अखिलेश कुमार 96003/आगरा 31-07-2030	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-1, सहारनपुर।	पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

2- उक्त तैनाती आदेश जनरित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।

3- आवंटित अधिकारी की तैनाती शासन की द्विसदस्यीय समिति से वांछित अनुमोदन प्राप्त कर कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।

4- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

5- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्त की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-0-2001 के अनुसार दायित्व गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निर्देशक

संख्या: 33 (1) अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निर्माकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष/प्रबन्ध निर्देशक, के निजी सचिव/समस्त निर्देशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निर्देशक, दक्षिणान्चल, आगरा/मध्यान्चल, लखनऊ/पूर्वाञ्चल, वाराणसी/पश्चिमान्चल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केरका, कानपुर।
- 3- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0न्समिशन का0लि0।
- 4- मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटराइजेशन इकाई, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 5- समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 7- अधिशासी अभियन्ता (देब), उ0प्र0पा0का0लि0, कमरा नं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- अनु सचिव(गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित अधिकारी/व्यक्तिगत पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

सं. 5496/वीके/लिले/मेरठ/एलके को. दि: 06.07.2013
प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता सहारनपुर को
इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित अधिकारी को
स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित
करे।

(सत्यानन्द दीक्षित)
उप सचिव

उप सचिव
शक्ति भवन, लखनऊ



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 35-अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2013-9801

दिनांक: 05 जुलाई, 2013

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित अधिशासी अभियन्ता (जानपद) को स्तम्भ संख्या-3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर स्तम्भ संख्या-4 के अनुसार निगम को आवण्टित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/ अभि०सं०/गृह जनपद सेवानिवृत्ति का दिनांक	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात् आवंटित निगम का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री शील चन्द 9801/मेरठ 31-03-2015	अधिशासी अभियन्ता (जानपद), विद्युत जानपद वितरण खण्ड, मुरादाबाद।	पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- आवंटित अधिकारी की तैनाती शासन की द्विसदस्यीय समिति से वांछित अनुमोदन प्राप्त कर कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।
- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अफन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 35 (1) अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2013 तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणाञ्चल, आगरा/मध्याञ्चल, लखनऊ/पूर्वाञ्चल, वाराणसी/पश्चिमाञ्चल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केरको, कानपुर।
- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0न्तमिशन का0लि0।
- मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटराइजेशन इकाई, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, कमरा न०-407, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अनु सचिव(गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- सम्बन्धित अधिकारी/व्यक्तिगत पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

सं० 5497 / प्रतिलिपि लिमिटेड/एस.ओ. दि० 06.07.2013
प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता (जानपद)
प०वि० वि० लि० मेरठ को इस निदेश के
साथ सचिव कि स्थानान्तरित अधिकारी को स्थानीय
व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त करवा सुनिश्चित
करें।

(सत्यानन्द दीक्षित)
उप सचिव



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 36-अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2013-82135

दिनांक: 05 जुलाई, 2013

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित अधिशासी अभियन्ता (विद्युत एवं यान्त्रिकी) को स्वयं संख्या-3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर संख्या-4 के अनुसार निगम में आवंटित किया जाता है-

क्र० सं०	नाम/ अभि०सं०/गृह जनपद सेवानिवृत्ति का दिनांक	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात आवंटित निगम का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री महेश चन्द 92135/इटावा 31-12-2025	अधिशासी अभियन्ता, सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ।	पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- आवंटित अधिकारी की तैनाती शासन की द्विसदस्यीय समिति से कौटिल अनुमोदन प्राप्त कर कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।
- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-8-2001 के अनुसार प्रकृत गणपनीय आख्या का अंकन तथा स्थापन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 36 (1) अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2013 तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/असहायक) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0द्रा0का0लि0, लखनऊ।
 - प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल, आगरा/मध्यान्चल, लखनऊ/पूर्वान्चल, दाराणसी/पश्चिमान्चल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केरको, कानपुर।
 - समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0द्रा0न्तर्निशन का0लि0।
 - मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटराइजेशन इकाई, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
 - समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0द्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
 - अधिशासी अभियन्ता (विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, कमरा नं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - अनु सचिव(गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/फट फाइल/नोटिस बोर्ड।

सं० 5498/पॉवि० वि० लि० मेरठ/ए.स.के.

दि० 06.07.2013

प्रतिलिपि अन्वेषण अधिकारियों (मुलाकात)
पॉवि० वि० लि० मेरठ को इस निर्देश के
साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित अधिकारी को
स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित
करे।

आज्ञा से,

(सहानन्द दीक्षित)
उप सचिव



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 37-अप्र0(2ब)/पा0का0लि0/2013-89039

दिनांक: 05 जुलाई, 2013

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित अधिशासी अभियन्ता (विद्युत एवं यान्त्रिकी) को स्तम्भ संख्या-3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर स्तम्भ संख्या-4 के अनुसार निगम को आवंटित किया जाता है:-

क्र. सं०	नाम/ अभि0सं0/गृह जनपद सेवानिवृत्ति का दिनांक	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात आवंटित निगम का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री आलोक कुमार गोयल 89039/बागपत 30-06-2024	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, गुजगफरनगर।	पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। (प्रशासनिक आधार पर)

2- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।

3- आवंटित अधिकारी की तैनाती शासन की द्विसदस्यीय समिति से संबंधित अनुमोदन प्राप्त कर कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।

4- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल जवमुक्त कर दिया जाए।

5- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाका0लि0(08)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्थापन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 37 (1) अप्र0(2ब)/पा0का0लि0/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आदेश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अवरज्यप्रेत) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल, आगरा/मध्यान्चल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमान्चल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केरको, कानपुर।
- 3- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तंभ-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तंभ-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रां0समिशन का0लि0।
- 4- मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटराइजेशन इकाई, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 5- समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/संस्था अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 7- अधिशासी अभियन्ता (वेद), उ0प्र0पा0का0लि0, कमरा नं0-407, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- अनु सचिव(गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/फोट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

सं० 5499/प्रतिनिधिलेखि/शक्त० को दि०: 06.07.2013

प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता, सहानुपुर क्षेत्र

को इस आशय के साथ कि स्थानान्तरित अधिकारी को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

(सत्यानन्द शीशिव)
उप सचिव

रतन
0222288419